UPHM010006592026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।

पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code– UP06459

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–343/2026

चेतराम उम्र करीब 69 वर्ष पुत्र स्व० शिवरतन लोधी निवासी ग्राम अतरा थाना चिकासी, जिला हमीरपुर उ०प्र०। **..........प्रार्थी/अभियुक्त ।**

बनाम

राज्य सरकार

.............अभियोजक ।

मु०अ०सं०-102/2025
धारा-115(2),352,351(3) बी०एन०एस० व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट,
थाना- चिकासी, जिला-हमीरपुर

11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **चेतराम** उपरोक्त की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना, मु०अ०सं०–102/2025, धारा-115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना– चिकासी, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में दिया गया है। उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वेच्छया से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा रामसहोदर पुत्र अर्जुन सिंह चमार निवासी ग्राम अतरा थाना चिकासी जिला हमीरपुर का रहने वाला है। दिनांक 21.10.2025 को समय करीब शाम 08:00 बजे वह राम रामअवतार लोधी के यहां खाना खाने आया था वह खाना खाकर मकान से बाहर निकला दुकान पर गुटका लेने लगा, इतने में गांव का चेतराम आया और उसको मां बहन की गाली देने लगा, मना करने पर उक्त चेतराम ने लाठी–डण्डा से मारा पीटा, जिससे उसके शरीर में गम्भीर चोटे आयी है। वह घटना गांव के लोगों ने देखी है उक्त चेतराम गाली–गलौज करते तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया और कहता गया साले चमरा थाने गया तो जान से मार डालेंगे। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह उपरोक्त अपराध में सर्वथा निर्दोष है उसको उपरोक्त अपराध में झूठा रंजिशन फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से की गई है, इससे घटना स्वतः संदिग्ध प्रतीत होती है। उसने मुकदमा वादी की न ही मारपीट की है, न ही गाली–गलौज किया है और न ही जान से मारने की धमकी दी है, न ही उसके द्वारा वादी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। उसको जैसे ही मुकदमे की जानकारी मिली वह तुरन्त बिना देरी किए माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत की याचना की है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जमानत की सुविधा का वह अक्षरक्षः पालन करेगा। उसका माननीय न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा किसी अन्य सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही प्रस्तुत किया है न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादी को नोटिस तामील है, वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.03.13 10:35:01 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया ।

मैंने प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त चेतराम पर दिनांक 21.10.2025 को समय लगभग 08:00 बजे शाम, स्थान बहद ग्राम अतरा, थाना चिकासी, जिला हमीरपुर में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा रामसहोदर के साथ लाठी–डण्डा से मारपीट करते हुए गाली–गलौज करने तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया से आत्मसमर्पण किया है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की **एस.एल.पी.(क्रि) नं0- 5191/2021 सतेन्द्र कुमार अंतिल प्रति सी.बी.आई.** के अनुक्रम में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर था। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **चेतराम** की ओर से, मु०अ०सं०–102/2025, धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना–चिकासी, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 20,000/– (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाये ।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त आरोप विरचन तथा बयान अभियुक्त के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. यदि अभियुक्त जमानत के शर्तों का उल्लंघन करता है तो अभियोजन अभियुक्त की जमानत निरस्त किए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

दिनांक 11.03.2026

(रनवीर सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट),
हमीरपुर ।
(आई.डी. UP06459)